



न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठसीन अधिकारी :- मनीषा (आर० ए० एस)

प्रकरण संख्या:- 38/2009

दायर दिनांक:- 25.05.2009

उनवान

1. गिराज प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कोलाना तह. बसवा जिला दौसा।
2. नाथू पुत्र भजना जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तह० दौसा जिला दौसा।

(वादीगण)

बनाम

1. पांच्या पुत्र श्रवण
 - 1/1. श्रीकिशन पुत्र स्व० पांच्या
 - 1/2. रामवतार पुत्र स्व० पांच्या
2. तुलसा पुत्र बिरदा
 - 2/1. जयबाई पत्नि स्व० तुलसा
 - 2/2. शम्भू पुत्र स्व० तुलसा
 - 2/3. दलसिंह पुत्र स्व० तुलसा
 - 2/4. हरिसिंह पुत्र स्व० तुलसा
 - 2/5. बच्ची पुत्री स्व० तुलसा पत्नि जगदीश जाति गुर्जर निवासी ग्राम खराना तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर।
 - 2/6 सन्तो पुत्री तुलसा पत्नि रामकरण जाति गुर्जर निवासी जसोता तह० दौसा
3. हरिसिंह पुत्र कजोड़ जाति गुर्जर निवासी ग्राम मित्रपुरा तह० व जिला दौसा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा।
5. चरणसिंह पुत्र रामनिवास निवासी बैरावास
6. अंशु पत्नि चरणसिंह निवासी बैरावास

जाति गुर्जर निवासी मित्रपुरा
तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रतिवादीगण)



उपरिस्थित : 1. श्री राजकुमार तिवाड़ी अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री एम० एल० गुर्जर अधिवक्ता , प्रतिवादी न० 1

सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: संशोधित निर्णय ::


दिनांक: 17.12.2021

वकील मय प्रार्थी ने एक वाद दावा तकास्मा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बर 250/495 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.25 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 लगायात 3 के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। आराजीयत में पूर्व में वादी नं0 1 का हिस्सा 1/4 एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायात 3 का हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड था। प्रतिवादी नं0 3 हरिसिंह पुत्र कजोड़ खातेदार ने अपने हिस्से 1/4 की भूमि में से 14/25 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी नम्बर 2 को बेचान कर दिया। जिसका वादी नामान्तरण दस्दीग किया जाकर खातेदारी से इन्द्राज किया गया। प्रतिवादी नम्बर 3 का उक्त भूमि में 89/500 हिस्सा शेष रहा। तथा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 को 1/4, 1/4 हिस्सा व वादी नम्बर 1 का 1/4 हिस्सा है। उक्त आराजियत का वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायात 3 ने बाहमी तौर पर तकास्मा कर रखा है। विधिवत तकास्मा नहीं हुआ है इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बीच हर फसल पर विवाद होता है एवं लगान अदा करने पर भी विवाद होता है।

उक्त वाद में वकील वादी ने वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष प्रदान करने का निवेदन किया है:-

डिक्री तकास्मा इस प्रकार प्रदान करें की ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 250/495 रकबा 0.20 है0, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है0, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है0, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 है0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 1.25 है0 का तकास्मा मौके व हिस्से के अनुसार फरमाकर अलग अलग खातेदारी की जाकर अलग अलग पासबुक एवं लगान कायम की जावे। यह है कि अन्य अनुतोष जो न्यायोचित हो बहक वादी प्रदान करे।


इस पर वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से मिठठन लाल गुर्जर ने वकालतनामा पेश किया एवं प्रतिवादी नम्बर 2 व 3, 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गई।


सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट जौपाडा में दिनांक 08.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई तथा ग्राम मित्रपुरा तहसील दौसा स्थित भूमि 250/495 रकबा 0.20 है०, खसरा नम्बर 252 रकबा 0.39 है०, खसरा नम्बर 253 रकबा 0.11 है०, खसरा नम्बर 254 रकबा 0.34 है०, खसरा नम्बर 251 रकबा 0.21 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.25 है० भूमि के कुर्रैजात तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश दिये गये थे। इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2018/2026 दिनांक 05.07.2018 के द्वारा तहसीलदार दौसा से कुर्रैजात मंगवाने हेतु तहरीर जारी की गई।

कार्यालय तहसीलदार दौसा के द्वारा उनके पत्रांक भू०अ०/2018/6954 दिनांक 16.08.2019 के द्वारा बिना तहसीलदार के हस्ताक्षर के इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पुनः तहसीलदार दौसा के हस्ताक्षरार्थ इस न्यायालय के पत्रांक कोर्ट/2019/1111 दिनांक 30.10.2019 के द्वारा मूल ही प्रेषित कर कार्यालय तहसीलदार दौसा के पत्रांक भू०अ०/2019/19183 दिनांक 15.11.2019 के द्वारा कुर्रैजात इस न्यायालय को प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली कुर्रैजात बहस पर नियत की गई। दौराने बहस वादी संख्या 1 की ओर से राजकुमार तिवाडी अधिवक्ता द्वारा वकालतनाम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान की ओर से अधिवक्ता एमएल गुर्जर की ने वकालतनामा पेश किया। उभयक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 06.01.2021 को न्यायालय द्वारा निर्णय एवं डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार दौसा को निर्णय अनुसार खाते अलग अलग राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु आदेशित किया गया था।

तहसीलदार दौसा के पत्रांक भू०अ०/2021/1597 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया की निर्णय में चरणसिंह पुत्र रामनिवास एवं अंशु पत्नि चरणसिंह को सह खातेदार होने के बावजूद पक्षकार नही बनाये जाने के कारण निर्णय अनुसार विभाजन किया जाना सम्भव नही है। दिनांक 15.04.2021 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा चरणसिंह पुत्र रामनिवास एवं अंशु पत्नि चरणसिंह को उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 व धारा 151, 152 सीपीसी पेश किया गया। दिनांक 17.12.2021 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिवादी संख्या 5 के रूप में चरणसिंह पुत्र रामनिवास एवं प्रतिवादी संख्या 6 के रूप में अंशु पत्नि चरणसिंह को पक्षकार बनाया जाकर संशोधित निर्णय एवं डिक्री जारी की कर तहसीलदार दौसा से प्राप्त कुर्रैजात अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्नानुसार खाते अलग अलग कर अलग अलग लगान कायम करने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते है।


सहायक कलक्टर
दौसा, जिला दौसा

क्र.सं	खातेदार का नाम	ख0न0	रकबा	किस्म	लगान
1.	गिराज प्रसाद पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी कोलाना तह0 बसवा के हिस्से में <u>हरे रंग</u> से दर्शित भूमि	251/2	0.0850	चाही 1	3.82
		254/1	0.1660	चाही 1	7.47
		किता 2	0.2510		11.29
2.	नाथू पुत्र भजना जाति गुर्जर निवासी खवारावजी तह0 नांगलराजावतान के हिस्से में <u>नीले रंग</u> से दर्शित भूमि	251/4	0.0500	चाही 1	2.25
		254	0.0900	चाही 1	4.05
		किता 2	0.1400		6.03
3.	चरणसिंह पुत्र रामनिवास हि0 216/271, अंशु पत्नी चरणसिंह हि0 55/271 जाति गुर्जर नि0 बैरावास के हिस्से में <u>पीले रंग</u> से दर्शित भूमि	251/3	0.0271	चाही 1	1.21
4.	शम्भूदयाल, दलसिंह, हरिसिंह पि0 तुलसा हिस्सा 3297/8319 राहिन सिंडिकेट बैंक शाखा दौसा मुर्तहीन पांच्या पुत्र श्रवण हि0 3297/8319 जाति गुर्जर सा0 देह, हरिसिंह पुत्र कजोड़ हि0 1725/8319 जाति गुर्जर सा0 देह के हिस्से में <u>बिना रंग</u> से दर्शित भूमि	251/5	0.0479	चाही 1	2.17
		254/3	0.0840	चाही 1	3.78
		250/495	0.2000	चाही 1	9.00
		252	0.3900	चाही 1	17.55
		253	0.1100	चाही 1	4.95
		किता 5	0.8319		37.45

:: आदेश ::

अतः कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री होने योग्य है। वाद वादीगण तहसीलदार दौसा द्वारा पेश कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शे ट्रेस दिनांक 04.12.2019 के अनुसार राजस्व नक्शे में तितम्बा काटे जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा दिया जाने के आदेश दिये जाते हैं। कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस तैयार दिनांक 15.11.2019 व पेश दिनांक 04.12.2019 इस अन्तिम डिक्री का हिस्सा समझा जायेगा। उक्त निर्णय दिनांक 06.01.2021 को जारी निर्णय एवं डिक्री का भाग होगा एवं उसके संलग्न हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दफतर दाखिल हो।

अन्तिम निर्णय आज दिनांक 17.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



मन्दीपक (R.A.S.)
सहायक कलेक्टर दौसा